हंस राज एंड संस

बनाम

जम्मू और कश्मीर राज्य एवं अन्य

(17 जुलाई, 2002)

[डी.पी मोहपात्रा एवं दोराईस्वामी राजू, न्यायमूर्ति]

टोल अधिभार अधिनियम, 1995: धारा 3 और 4:

सूचना संख्या एसआरओ 348 - सूखे मेवों पर अतिरिक्त टोल कर लगाने की सूचना - वैधता - निर्णय, यह सूचना अधिनियम की धारा 3 के दायरे से बाहर है क्योंकि राज्य सरकार को अतिरिक्त टोल कर लगाने का अधिकार नहीं प्राप्त है। हालांकि, यह निर्णय केवल भविष्य के लिए प्रभावी होगा।

उत्तरदाता-राज्य ने एक सूचना जारी की, जिसके तहत कुछ सूखे मेवों पर अतिरिक्त टोल कर लगाया गया। अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता एवं अन्य ने इस सूचना की वैधता और कानूनीता को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएँ दायर कीं और वैकल्पिक रूप से यह भी याचना की कि उन पर अतिरिक्त टोल कर न लगाया जाए, इस आधार पर कि राज्य सरकार ने एक अन्य सूचना के माध्यम से उन व्यक्तियों को अतिरिक्त कर से छूट प्रदान की थी, जो सूखे मेवों के निर्माण की प्रक्रिया में संलग्न थे। अपीलकर्ताओं के अनुसार, उनके कारखाने में सूखे मेवों को विभिन्न परीक्षणों और प्रक्रियाओं, मैनुअल और यांत्रिक दोनों, से गुजरना पड़ता है ताकि विदेशी बाजारों में उच्च गुणवत्ता की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, और इसलिए उन्होंने उक्त सूचना के अंतर्गत टोल कर लगाने से छूट की मांग की। उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाएँ खारिज कर दीं। अतः यह अपील दायर की गई।

अपीलकर्ताओं के लिए यह तर्क दिया गया कि लगाए गए टोल कर का स्वरूप शुल्क (fee) जैसा है। अतः इसमें प्रति-प्रदाय (प्रतिदान) का तत्व होना आवश्यक है। चूँकि राज्य सरकार राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव पर कोई राशि खर्च नहीं कर रही थी, इसलिए टोल कर का लगाना उचित नहीं था।

उत्तरदाता-राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि लगाए गया टोल कर शुल्क (fee) नहीं बल्कि कर (tax) के समान है, जिस पर प्रति-प्रदाय का सिद्धांत लागू नहीं होता; और अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए कार्य 'उत्पादन' की परिभाषा में शामिल नहीं हैं, अतः वे संबंधित सूचना के अंतर्गत टोल कर लगाने से छूट के अधिकारी नहीं हैं।

अपील को मंजूरी देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1. टोल कई प्रकार के होते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में लगाया जा सकता है; आमतौर पर इसका अर्थ उस राशि से है जिसे सरकार, कोई स्थानीय प्राधिकरण या सरकार द्वारा उपयुक्त रूप से अधिकृत व्यक्ति किसी सड़क या पुल पर गाड़ियों और वाहनाओं के आवागमन के लिए वसूल सकता है। यह अर्थ किसी भी तरह से पूरी व्याख्या नहीं करता। जहां टोल वसूलने और संग्रह करने की व्यवस्था कानून या अधीनस्थ विधान के तहत की गई हो, वहां वसूली को कड़ाई से क़ानून, नियम या किसी अन्य साधन के प्रावधानों के अनुसार संचालित किया जाना चाहिए, जैसा कि मामले में लागू हो। [209-ए, बी]

संदर्भित ग्रंथ: शॉर्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स, संशोधित एवं संपादित सी. टी. ओनियंस, तीसरा संस्करण, खंड II, पृष्ठ 2206; व्हार्टन का लॉ लेक्सिकॉन, 14वां संस्करण, पृष्ठ 999-1000; ब्लैक का लॉ डिक्शनरी, सातवां संस्करण; एवं हॉल्सबरी'स लॉज ऑफ इंग्लैंड, चौथा संस्करण, पृष्ठ 96।

1.2. लेवी ऑफ टोल्स अधिनियम को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया कि जम्मू और कश्मीर राज्य में सार्वजनिक सड़कों और पुलों पर टोल वसूली के प्रावधानों को एक अधिनियम में समेकित किया जा सके। अधिनियम के अनुसूची में विभिन्न प्रकार के वाहन और उनके लिए निर्धारित टोल दरें सूचीबद्ध की गई हैं। अनुसूची की सामग्री से स्पष्ट है कि यह अधिनियम राज्य में विभिन्न सड़कों और पुलों पर पारगमन के लिए टोल वसूली का प्रावधान करता है और राज्य को अधिसूचना द्वारा टोल दर निर्धारित करने और उसकी वसूली की प्रक्रिया तय करने का अधिकार प्राप्त है। [209-F; 210-डी, इ]

1.3. अधिनियम की रूपरेखा का उद्देश्य किसी वस्तु पर या उसकी बिक्री के किसी लेन-देन पर टोल वसूलना नहीं है। यह स्पष्ट रूप से राज्य में सार्वजनिक सड़कों और पुलों के उपयोग पर

वसूली है। यह रूपरेखा टोल की संकल्पना के अनुरूप है, चाहे वह पारगमन टोल हो या मार्ग से होकर गुजरने का टोल, जिसे राज्य सरकार द्वारा सड़कों और पुलों के उपयोग के लिए प्रदान किए गए लाभ या विशेषाधिकार के बदले लगाया जाता है। वसूली के उद्देश्य के लिए उस एजेंसी का होना, जिसने संबंधित सड़क या पुल का निर्माण किया, या परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त का स्रोत, कोई प्रासंगिकता नहीं रखता। [210-इ, एफ]

1.4. धारा 3(1) के प्रावधान के संदर्भ में सूचना संख्या 348 का प्रारंभिक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट है कि यह सूचना राज्य सरकार को धारा के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप नहीं है। इसका उद्देश्य सूखे मेवे, जिनमें बादाम, अखरोट और अखरोट के गुठली शामिल हैं, को राज्य से बाहर सड़क या मार्ग के माध्यम से कुछ विशेष निकास बिंदुओं से निर्यात करने पर टोल वसूलना है। इस प्रकार की वसूली का अधिकार उस शक्ति से उत्पन्न नहीं होता जो अधिनियम की धारा 3 में राज्य सरकार को प्रदान की गई है, जिस कथित उपयोग के तहत यह सूचना जारी की गई है। [210-जी, एच; 211-ए]

2. जिस सूचना संख्या एसआरओ 348 में अतिरिक्त टोल कर लगाया गया, वह स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 3 के दायरे से बाहर है। आगे, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में बादाम, अखरोट और अखरोट के गुठली जैसे सूखे मेवों का प्रसंस्करण 'उत्पादन' (manufacture) की परिभाषा में नहीं आता, त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। मामले में अतिरिक्त टोल कर की वसूली को सही ठहराने वाला उच्च न्यायालय का निर्णय भी असंवैधानिक है। यह निर्णय केवल भविष्य के लिए प्रभावी होगा और विवादित सूचना के तहत वसूल किए गए किसी भी टोल/अतिरिक्त टोल कर की राशि वापस नहीं करनी होगी। [212-इ, एफ]

ए. वी. फर्नांडेज बनाम केरल राज्य, (1957) ***एससीआर 837*****, अनुसरण किया गया।**

कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स गुजरात-III, अहमदाबाद बनाम एलिस ब्रिज जिमखाना, **(1998) I एससीसी 384**; *दिवान ब्रदर्स बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बॉम्बे एवं अन्य,* **(1976) 3 एससीसी 800** और *बैंक ऑफ चेट्टिनाड बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर,* **एआइआर (1940) पी.सी. 183**, पर भरोसा किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्याएँ 4123-24/2002।

जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू/श्रीनगर के 23.08.1999 के निर्णय और आदेश, W.P. संख्या 660/82 और संबंधित मामलों से।

सिविल अपील संख्याएँ 4125-4145/2002 एवं एसएलपी (सी) संख्याएँ 15830, 15831-32, 15823-24, 15989-15990, 16169-16170, 16172-16173, 16713-16714, 16455-16456, 16859-16860, 16852, 16879-16880 और 18787/99 क्रमशः।

अधिवक्तागण:

दुष्यंत देव, सुनील डोगरा, मनु नायर - सुरेश ए. श्रॉफ एंड कंपनी के लिए।

सुश्री प्रतिभा एम. सिंह, मनीक डोगरा और मनिंदर सिंह - अपीलकर्ताओं के लिए।

संदीप नारायण, श्री नारायण, सुश्री अंजली - एस. नारायण एंड कंपनी के लिए।

न्यायालय का निर्णय द्वारा दिया गया।

डी.पी. मोहापात्रा, न्यायधीश, सभी विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति प्रदान की गई।

इन मामलों में उठाया गया विवाद केवल सूचना संख्या एसआरओ 348, दिनांक 20.08.1982 के तहत बादाम, अखरोट और अखरोट के गुठली जैसे सूखे मेवों पर अतिरिक्त टोल कर लगाने की वैधता और कानूनीता से संबंधित है। मामलों में समान प्रश्न शामिल होने के कारण, पक्षकारों के वकीलों की सहमति से इन्हें एक साथ सुना गया और इस निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है।

सुविधा के लिए, हम प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख रिट याचिका संख्या 660/1982 के संदर्भ में करेंगे, जिसे मिस मेहता फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य के खिलाफ दायर किया था, जिसका प्रतिनिधित्व मुख्य सचिव और वित्त मंत्रालय के सचिव द्वारा किया गया था। यह मामला एसएलपी (सी) संख्या 16852/1999 से उत्पन्न सिविल अपील का विषय है। भारत के संविधान की धारा 226 के अंतर्गत और जम्मू एवं कश्मीर संविधान की धारा 103 के साथ पढ़ी गई इस याचिका में, रिट याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से निम्नलिखित राहतें मांगी थीं:

"अतः प्रार्थना की जाती है कि सूचना संख्या एसआरओ 348, दिनांक 20.08.1982 और सूचना संख्या एसआरओ 349, दिनांक 20.08.1982 को सर्टियोरी (certiorari) के माध्यम से रद्द किया जाए, क्योंकि विवादित सूचना अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर (ultra vires) है और यह याचिकाकर्ता के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) और 14 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन करती है तथा अन्यथा यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 286(i) के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।"

माननीय न्यायालय ऐसी अन्य राहत भी प्रदान कर सकता है जैसी कि मामले की परिस्थितियाँ उचित ठहराएँ।

उत्तरदाताओं ने मामले का प्रतिवाद किया। यह मामला और अन्य संबंधित मामले उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा 23 अगस्त 1999 को दिए गए निर्णय द्वारा निपटाए गए।

रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से बाहर निर्यात किए जाने वाले सूखे मेवों, जिनमें बादाम, अखरोट और अखरोट के गुठली शामिल हैं, पर प्रति किलोग्राम 0.60 रुपये अतिरिक्त टोल कर लगाने की वैधता और कानूनीता को चुनौती दी। यह कर लखनपुर, जम्मू रेलवे स्टेशन, मंवाल और अन्य टोल पोस्टों पर लागू था, जिन्हें समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया जा सकता था। वैकल्पिक रूप से, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यदि टोल कर की वसूली को वैध माना भी जाए, तो अतिरिक्त टोल कर उसका भुगतान नहीं करना है, क्योंकि राज्य सरकार ने एक अधिसूचना द्वारा उन व्यक्तियों को, जो सूखे मेवों के निर्माण प्रक्रिया में संलग्न थे, टोल कर से छूट प्रदान की थी। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वह बादाम, अखरोट और अखरोट के गुठली सहित सूखे मेवों की बिक्री और निर्यात के व्यवसाय में संलग्न है, न केवल जम्मू एवं कश्मीर राज्य के बाहर स्थित स्थानों पर बल्कि विदेशी देशों में भी। उल्लेखित सूखे मेवे किसानों से एकत्र किए जाते थे और निर्यात से पहले उन्हें विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजारा जाता था। राज्य के विभिन्न हिस्सों से अखरोट और खट्टे खुबानी के फल (bitter apricots) शेल में खरीदने के बाद, कच्चा माल याचिकाकर्ता के कारखानों में पहुँचाया जाता था। कारखानों में अखरोट और खट्टे खुबानी को विभिन्न परीक्षणों और प्रक्रियाओं से गुजारा जाता था, जो मैनुअल और यांत्रिक दोनों प्रकार की थीं। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जाता था कि विदेशी बाजारों में उच्चतम गुणवत्ता की सामग्री उपलब्ध हो।

अपना किया गया प्रसंस्करण विवरण प्रस्तुत करते हुए, याचिकाकर्ता ने कहा कि शेल में मौजूद अखरोट और खट्टे खुबानी को सबसे पहले एक ग्रेडिंग मशीन द्वारा ग्रेड किया जाता है ताकि आकार के अनुसार वर्गीकरण सुनिश्चित हो सके। ग्रेडिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, शेल में मौजूद सूखे मेवे हाथ से छांटे जाते हैं। यह इसलिए किया जाता है ताकि टूटे हुए अखरोट, क्षतिग्रस्त मेवे, खराब मेवे और तैलीय मेवे अलग किए जा सकें। छंटाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अखरोट को ब्लीचिंग (bleaching) प्रक्रिया से गुजराया जाता है। उन्हें एक रासायनिक घोल से संसाधित किया जाता है। इसका उद्देश्य उन्हें चमक और आकर्षक रूप देना है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि यही ब्लीचिंग की प्रक्रिया है जो मेवों की मूल उपस्थिति को पूरी तरह बदल देती है और बाहरी शेल को मूल शेल की तुलना में नरम बना देती है। ब्लीचिंग के बाद, अखरोट को सुखाने के लिए एक अन्य मशीन में डाला जाता है। यह इस उद्देश्य से किया जाता है कि नट्स में 3% नमी बनाए रखी जा सके। सुखाने के बाद, अखरोट को हाथ से फिर से छांटा जाता है ताकि अवांछित मेवे हटाए जा सकें। अखरोट की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए फिर से निरीक्षण किया जाता है।

जहाँ तक अखरोट के गुठली और खट्टे खुबानी की बात है, प्रक्रिया और उपचार वही है जो अखरोट पर लागू होता है। ग्रेडिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अखरोट और खट्टे खुबानी को रातभर पानी में भिगोया जाता है। उसके बाद उन्हें अर्ध-कौशल श्रमिकों द्वारा शेल से अलग किया जाता है, विशेष ध्यान यह रखते हुए कि अधिकतम प्रतिशत हाफ प्राप्त किया जा सके। गुठली निकालने के बाद, उन्हें यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा सुखाया जाता है। इसके बाद उन्हें रंग और आकार के अनुसार छांटा जाता है, जो मोटर चालित कन्वेयर बेल्ट का उपयोग करके किया जाता है। इस प्रकार अलग किए गए हाफ को गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण (gravity separation) की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा टूटे हुए टुकड़े हाफ पीस से अलग कर दिए जाते हैं। टुकड़ों की बुराद और धूल भी हटा दी जाती है। जो टुकड़े बचे रहते हैं, उन्हें फिर से ग्रेडिंग मशीन में डालकर आगे ग्रेडिंग की जाती है। इन विभिन्न आकारों को उसके बाद साफ किया जाता है। सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद, शुद्ध उत्पाद पैक किया जाता है और राज्य के बाहर निर्यात किया जाता है। याचिकाकर्ता के अनुसार, यही प्रक्रिया 'उत्पादन' (manufacture) के अंतर्गत आती है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि यदि यह मान भी लिया जाए कि टोल वैध रूप से लगाया गया, तो भी याचिकाकर्ता राज्य सरकार द्वारा जारी सूचनाओं के अंतर्गत छूट का

अधिकारी है, जो रिट याचिकाओं के साथ संलग्न हैं। याचिकाकर्ता ने आगे यह भी कहा कि लगाए गए टोल कर का स्वरूप शुल्क (fee) जैसा है, अतः इसमें प्रति-प्रदाय (quid pro quo) का तत्व होना आवश्यक है, अर्थात् राज्य सरकार द्वारा एक समकक्ष सेवा प्रदान की जानी चाहिए। चूंकि याचिकाकर्ता अपने माल के परिवहन के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करता है और राज्य सरकार ऐसे राजमार्गों के निर्माण या रखरखाव के लिए राज्य कोष से कोई राशि खर्च नहीं कर रही है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा टोल कर लगाना न्यायसंगत नहीं है।

याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए, राज्य और उसके अधिकारी, जिन्हें रिट याचिका में पक्षकार बनाया गया था, ने अंतरंग रूप से प्रस्तुत किया कि मामले में लगाए गए टोल शुल्क (fee) नहीं हैं, जिन पर प्रति-प्रदाय (quid pro quo) का सिद्धांत लागू होता। इस मामले में वसूली कर (tax) के समान है, जिसे विधानमंडल के अधिनियम द्वारा लगाया गया है, और ऐसी वसूली पर प्रति-प्रदाय की संकल्पना लागू नहीं होती। उत्तरदाता ने जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय का हवाला दिया, जो गिरधारी लाल आनंद साराफ बनाम जम्मू और कश्मीर एवं अन्य, एआइआर (1969) जे एंड के 113 में दिया गया। उत्तरदाताओं का आगे का तर्क था कि याचिकाकर्ता किसी भी छूट का अधिकारी नहीं है क्योंकि कथित रूप से किए गए कार्य 'उत्पादन' की परिभाषा में शामिल नहीं हैं।

अपने-अपने मामलों के समर्थन में, पक्षकारों ने विभिन्न प्रश्न उठाए, जिन्हें उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय में लगभग 50 पृष्ठों में विस्तार से विचार किया। उच्च न्यायालय ने लेवी ऑफ टोल्स अधिनियम, 1995 (संवत 1938 ई.) (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत टोल वसूली के विकास का विवरण प्रस्तुत किया। उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 3 का उल्लेख किया, जिसमें अंतरंग रूप से यह प्रावधान है कि सरकार समय-समय पर किसी भी सड़क, फेरी या पुल (राज्य में) पर वसूले जाने वाले टोल की दरें निर्धारित, समाप्त या परिवर्तित कर सकती है और ऐसी वसूली को उस प्रबंधन के अधीन रख सकती है जो उसे उचित प्रतीत हो। और ऐसे टोल के प्रबंधन और वसूली में नियुक्त सभी व्यक्तियों पर वही जिम्मेदारियाँ लागू होंगी जो उन्हें जम्मू और कश्मीर (Excise) अधिनियम, 1958 के तहत उत्पाद शुल्क (Excise) वसूली में नियुक्त होने पर लागू होतीं।

अतिरिक्त टोल कर लगाने के विरुद्ध चुनौती के समर्थन में उठाए गए तर्कों को उच्च न्यायालय ने इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया:

(i) कि टोल वसूली में प्रति-प्रदाय (quid pro quo) का तत्व निहित है। इसके लिए कर (tax) और शुल्क (fee) के बीच अंतर की परीक्षा करना आवश्यक होगा।

(ii) कि कोई टोल कर नहीं लगाया जा सकता क्योंकि याचिकाकर्ता राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग कर रहे हैं, जो राजमार्ग केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं।

(iii) कि नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 के तहत राजमार्गों के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। यदि राज्य सरकार द्वारा कोई वसूली करनी हो, तो इसके लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच एक विशिष्ट समझौता होना आवश्यक है, और इस समझौते को अनिवार्य रूप से संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में यह प्रस्तुत किया गया कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच ऐसा कोई समझौता मौजूद नहीं है और इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत भी नहीं किया गया, इसलिए राज्य सरकार कोई टोल कर वसूल नहीं सकती।

(iv) कि सूखे मेवों पर अतिरिक्त टोल कर नहीं लगाया जा सकता। अधिसूचना जारी करके सूखे मेवों और उनके गुठली के लिए एक अलग श्रेणी बनाई गई है। इस श्रेणी के निर्माण से याचिकाकर्ताओं के साथ भेदभाव हुआ है।

(v) कि किसी भी मामले में, अखरोट को उत्पादन (manufacturing) प्रक्रिया से गुजारा जाता है। अतः अखरोट स्वयं और अन्य सूखे मेवे, जिनमें उनके गुठली शामिल हैं, टोल कर के भुगतान से मुक्त हैं।

(vi) कि कर योग्य कारोबार (taxable turnover) का निर्धारण वजन (weight) के आधार पर करने की विधि, जहां तक बिक्री कर (sales tax) का संबंध है, कानूनों में ज्ञात नहीं है।

उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत तर्कों के औचित्य पर विस्तार से विचार करने के बाद, इंग्लैंड के विभिन्न न्यायालयों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों में स्थापित सिद्धांतों के संदर्भ में, यह निर्णय दिया कि वर्तमान मामले में टोल किसी विशेष सड़क या सेवा के लिए नहीं लगाया गया है। यह टोल राज्य में अपने व्यवसाय के संचालन के कारण याचिकाकर्ता को प्राप्त सभी सुविधाओं, लाभों और सुविधाओं के बदले में लगाया गया है। टोल के लिए विचार उस सामान्य सुविधाओं और लाभों में निहित है जो राज्य प्रदान करता है। उच्च न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि यह टोल अधिनियम के तहत लगाए गए टोल कर (toll tax) के स्वरूप का है और ऐसी वसूली के लिए प्रति-प्रदाय (quid pro quo) का तत्व मान लिया जाना चाहिए, और यह तत्व इस मामले में मौजूद है।

(i) कि कर (tax) और शुल्क (fee) में कोई सामान्य अंतर नहीं है। बाध्यता दोनों के बीच अंतर का लक्षण नहीं है। इसके अतिरिक्त, वसूला गया धन किसी पृथक कोष में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि यह धन एक समेकित कोष में जाता है, तो वसूली का स्वरूप बदल जाता है।

(ii) कि इस मामले में जो वसूली की जा रही है, वह शुल्क नहीं बल्कि कर है। यह वसूली राज्य में निहित संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हुए की जा रही है। यह वसूली संविधान लागू होने से पहले से ही की जा रही थी।

(iii) कि यदि विवादित टोल को शुल्क माना भी जाए, तब भी इसके बदले कोई समकक्ष सेवा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। इसका कारण यह है कि यह टोल, टोल ट्रैवर्स के स्वरूप का है न कि टोल थ्रू का। टोल ट्रैवर्स के मामले में, यहाँ भूमि के उपयोग को टोल वसूली के लिए पर्याप्त माना जाता है।

(iv) कि याचिकाकर्ता केवल राष्ट्रीय राजमार्गों का ही उपयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे राज्य राजमार्गों का भी उपयोग कर रहे हैं। अतः, यदि प्रति-प्रदाय (quid pro quo) की संकल्पना लागू भी की जाए, तब भी याचिकाकर्ता सफल नहीं हो सकते। इसका कारण यह है कि, जैसा ऊपर बताया गया, राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा वे

राज्य राजमार्ग और अन्य ऐसे सड़क मार्गों का भी उपयोग कर रहे हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा नहीं हैं।

(v) कि राष्ट्रीय राजमार्ग का केंद्रीय सरकार में हस्तांतरण केवल इस उद्देश्य से किया गया है कि ये सही ढंग से बनाए रखे जाएँ। भूमि का स्वामित्व राज्य के पास ही रहता है। इस तर्क पर भी, राज्य सरकार विवादित कर लगाने की अधिकारिता रखती है।

(vi) कि उपरोक्त निष्कर्ष गिरधारी लाल आनंद साराफ बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, एआइआर (1969) जे & के 113 के मामले में निर्णय का विषय थे। सभी प्रश्नों का उत्तर राज्य के पक्ष में दिया गया। पूर्ण पीठ द्वारा दिया गया तर्क ऐसा तर्क है जिस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। हम सम्मानपूर्वक इस दृष्टिकोण से सहमत हैं।

कुछ तर्क, जो पहले गिरधारी लाल आनंद साराफ के मामले (सुप्र.) में पूर्ण पीठ के समक्ष नहीं थे, उन्हें भी याचिकाकर्ता के विरुद्ध उत्तर दिया गया है। ये तर्क इस प्रकार हैं:

(i) कि अधिसूचना को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है।

(ii) कि याचिकाकर्ताओं द्वारा सूखे मेवों को बाजार योग्य बनाने के संबंध में की जाने वाली गतिविधि 'उत्पादन' (manufacture) की परिभाषा में नहीं आती। जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा कहा गया, ऊपर इसका उल्लेख किया जा चुका है। प्रश्न में गतिविधि 'manufacture' की परिभाषा में शामिल नहीं होने के कारण, याचिकाकर्ता किसी भी छूट का दावा नहीं कर सकते।

(iii) कि कर की भारिता (incidence of taxation) अपरिवर्तित रहती है। केवल इसलिए कि कारोबार का मूल्यांकन (turnover) वजन (weight) को ध्यान में रखते

हुए किया गया है, कर को जम्मू और कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962 के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता।

(iv) कि अतः अतिरिक्त टोल कर की वसूली वैध है। कर की दर (rate of tax) निर्धारित करना मुख्यतः इस न्यायालय के बाहर के मंचों (forums) का कार्य है। राज्य के सभी व्यय क्षेत्रों में ज्यामितीय वृद्धि (geometrical increase) को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि अतिरिक्त टोल कर किसी भी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करता है।

अंत में, उच्च न्यायालय (पूर्ण पीठ) ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत, उठाए गए प्रश्नों का उत्तर याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध और राज्य के पक्ष में दिया जाता है। रजिस्ट्री को अब निर्देश दिया जाता है कि सभी रिट याचिकाओं को डिवीजन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, ताकि प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें निपटाया जा सके।

उपरोक्त निर्देश का पालन करते हुए, डिवीजन बेंच द्वारा मामला निपटाया गया और आदेश इस प्रकार है:

इस याचिका और अन्य संबंधित याचिकाओं में उठाया गया मुद्दा राज्य के पक्ष में निपटाया गया है। यह माना गया कि टोल कर (toll tax) की वसूली कानून के अनुरूप है। रिट याचिका संख्या 660/82 और शीर्षक में सूचीबद्ध अन्य संबंधित रिट याचिकाओं में पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए विस्तृत कारणों के दृष्टिगत, इन याचिकाओं को निराधार पाया गया और इन्हें खारिज कर दिया गया।
अंतरिम निर्देश स्वतः समाप्त हो जाएंगे।

मामले को मेरिट पर विचार करने से पहले, 'टोल' (toll), 'टोल थ्रू' (toll thorough) और 'टोल ट्रैवर्स' (toll traverse) शब्दों के अर्थ को नोट किया जा सकता है:

'टोल' (toll) शब्द का सामान्य अर्थ है वह निश्चित भुगतान जो राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संप्रभुता (sovereignty) या अधिकार (lordship) के आधार पर, या सुरक्षा प्रदान करने के बदले में वसूल किया जाता है, विशेष रूप से किसी स्थान से गुजरने, कोई कार्य करने, या कोई क्रिया संपन्न करने की अनुमति के लिए। इस शब्द का एक अन्य अर्थ यह भी है कि किसी बंदरगाह पर सामान उतारने या लादने का शुल्क, या माल के परिवहन के लिए वसूला गया शुल्क, विशेष रूप से रेलवे या नहर द्वारा।

'टोल थ्रू' (toll thorough) का अर्थ है वह स्थिति जिसमें किसी नगर द्वारा प्रत्येक पशु (beast) के लिए टोल निर्धारित किया जाता है जो उनके नगर से होकर गुजरता है। वहीं, 'टोल ट्रैवर्स' (toll traverse) का अर्थ है वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति अपने भू-भाग (ground) पर प्रत्येक पशु के लिए एक निश्चित राशि वसूल करने का दावा करता है। (संदर्भ: द शॉर्टर ऑक्सफ़ोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल , संशोधित एवं संपादित सी. टी ओनियंस, तीसरा संस्करण, खंड II, पृष्ठ 2206)

व्हार्टन के लॉ लेक्सिकॉन, 14वीं संस्करण, पृष्ठ 999-1000 में, 'टोल' (toll), 'टोल-थ्रू' (toll-thorough) और 'टोल ट्रैवर्स' (toll traverse) शब्दों को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है:

> सेक्शन 3 के अनुसार, टोल (toll) में कोई भी दर या अन्य भुगतान शामिल है जो किसी विशेष अधिनियम (special Act) के तहत किसी यात्री, पशु, गाड़ी, माल, वस्तु, सामान या किसी अन्य चीज़ के रेलवे पर परिवहन के लिए देय हो। देखें: रेलवे, और हंट बनाम ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी., (1851) आईओसी.बी. 900।
>
> टोल-थ्रू (toll-thorough) का अर्थ है, जब किसी नगर द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि नगर से होकर जाने वाले किसी निश्चित संख्या के पशुओं या प्रत्येक पशु के लिए टोल लिया जाएगा, या नगर के पुल या फेरी (ferry) पर।

> टोल-ट्रैवर्स (toll-traverse) का अर्थ है, किसी व्यक्ति की भूमि पर हर पशु के पार किए जाने पर लिया जाने वाला टोल। वह इसके लिए नियम निर्धारित कर सकता है और राजमार्ग (via regia) के माध्यम से इसे वसूल कर सकता है।

ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, सातवीं संस्करण में, 'टोल' (toll) शब्द को इस प्रकार वर्णित किया गया है: 1. किसी चीज़ के उपयोग के लिए अदा की जाने वाली धनराशि, विशेष रूप से सार्वजनिक सड़क, हाइवे या पुल का उपयोग करने के लिए अदा की जाने वाली राशि। 2. लंबी दूरी की टेलीफोन कॉल के लिए लगाया गया शुल्क।

हॉल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चौथा संस्करण, पृष्ठ 96, पैरा 138 में, जो 'कॉमन लॉ में टोल्स' (tolls at common law) से संबंधित है, यह वर्णित है कि कॉमन लॉ दो प्रकार के टोल्स को मान्यता देता है, जो क्राउन (Crown) से अनुमानित अनुदान (presumed grant) के तहत किसी हाईवे या पुल के पार जाने के लिए देय होते हैं, अर्थात् टोल ट्रैवर्स (tolls traverse) और टोल थ्रू (tolls thorough)। टोल ट्रैवर्स (toll traverse) वह टोल है जो उस भूमि के मूल स्वामित्व के संबंध में लिया जाता है जिसे जनता पार करती है (भले ही अब वह भूमि अलग हो चुकी हो), भूमि उस समय अनुदान प्राप्तकर्ता की निजी संपत्ति थी, और उस समय उसने उस भूमि को जनता के लिए समर्पित किया था, टोल वसूलने के बदले में। इसके अतिरिक्त इसमें यह भी कहा गया है कि टोल थ्रू (toll thorough) किसी भी मूल अनुदानकर्ता के भूमि स्वामित्व से स्वतंत्र होता है, और इसे समर्थन देने के लिए आवश्यक विचार आमतौर पर उस विशेष हाईवे या पुल की मरम्मत की जिम्मेदारी होती है।

पृष्ठ 97, पैरा 139 में, "कानून के तहत टोल्स" (tolls under statute) से संबंधित यह कहा गया है कि हाईवे और पुल के टोल्स कानून के तहत देय हो सकते हैं। यदि कोई स्वतंत्र वैधानिक संस्था (independent statutory undertaking) किसी पुल के रखरखाव में लगी है, तो टोल की राशि को संशोधित करने का अधिकार उस संस्था के विवेक पर हो सकता है, या टोल केवल इस शर्त के अधीन हो सकते हैं कि उनकी राशि न्यायसंगत (reasonable) हो।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि यद्यपि टोल्स (tolls) विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में वसूले जा सकते हैं, सामान्यतः इसका अर्थ वह राशि है जिसे सरकार, या कोई स्थानीय प्राधिकरण, या सरकार द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति सड़क या पुल पर गाड़ियों और

वाहनों के पारगमन के लिए वसूल सकता है। यह अर्थ किसी भी रूप में संपूर्ण नहीं है। यदि टोल्स की वसूली और संग्रह की व्यवस्था किसी विधान या अधीनस्थ विधि (subordinate legislation) के तहत की गई हो, तो उस वसूली को सख्ती से उस अधिनियम, नियम या किसी अन्य साधन की प्रविधियों के अनुसार ही नियंत्रित किया जाना चाहिए।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने 20 अगस्त 1982 की तारीख के एसआरओ 348 अधिसूचना के तहत राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त टोल कर (additional toll tax) वसूलने की वैधता पर सवाल उठाया। उक्त अधिसूचना का प्रासंगिक भाग यहां प्रस्तुत किया गया है:

> "लीवी ऑफ़ टोल्स एक्ट, संवत 1995 (VIII of 1995) (1938 ई.) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 19-08-1982 की तारीख के एसआरओ 341 अधिसूचना को प्रतिस्थापित करते हुए, सरकार द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि राज्य से बाहर निर्यात किए जाने वाले सूखे मेवों पर, जिसमें बादाम, अखरोट और उनके कोर शामिल हैं, अतिरिक्त टोल कर 0.06 रुपये प्रति किलोग्राम दर से वसूला जाएगा। यह कर लखनपुर, जम्मू रेलवे स्टेशन मैनुअल और अन्य टोल पोस्टों के माध्यम से वसूला जाएगा, जिन्हें सरकार समय-समय पर अधिसूचित कर सकती है, और यह एसआरओ 115 ई, दिनांक 31-03-1982 के अनुसार देय टोल के अतिरिक्त होगा।"

लीवी ऑफ़ टोल्स एक्ट, 1995 (1938 ई.) इस उद्देश्य से अधिनियमित किया गया कि जम्मू और कश्मीर राज्य में सार्वजनिक सड़कें और पुलों पर टोल वसूली के प्रावधानों को एक ही अधिनियम में समेकित किया जा सके। इस अधिनियम की धारा 3, जिसके तहत यह अधिसूचना जारी की गई है, इस प्रकार है:

> "**वसूली जाने वाले टोल की दरें**:
> (1) सरकार समय-समय पर किसी भी सड़क, फेरी या पुल [राज्य में] पर वसूले जाने वाले टोल की दरें निर्धारित, रद्द या परिवर्तित कर सकती है और टोल संग्रह को उस प्रबंधन के अधीन रख सकती है जो उसे उचित प्रतीत हो। ऐसे टोल के प्रबंधन और संग्रह में नियोजित सभी व्यक्ति उसी जिम्मेदारी के अधीन होंगे, जैसे कि वे जम्मू

और कश्मीर [Excise] एक्ट, 1958 के तहत [Excise] राजस्व संग्रह में नियोजित होते।

(a) इस अधिनियम के प्रारंभ में वसूली जाने वाली दरें इस अधिनियम से संलग्न प्रथम अनुसूची में उल्लिखित दरें होंगी। ये दरें तब तक लागू रहेंगी जब तक इन्हें इस धारा के प्रावधानों के अनुसार रद्द या परिवर्तित न किया जाए।

(b) उपरोक्त प्रावधानों के तहत सरकार को दरें रद्द या परिवर्तित करने का अधिकार होगा, जिसे समय-समय पर सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने के बाद प्रयोग किया जा सकता है। इस संशोधन और परिवर्तन का वही बल और प्रभाव होगा जैसे कि वे पहली अनुसूची में सम्मिलित हों।

(c) जिन व्यक्तियों के प्रबंधन में अधिनियम के प्रारंभ में टोल वसूला जाता है, वे निर्धारित टोल वसूलेंगे और इन्हें इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत टोल संग्रह के लिए नियुक्त माना जाएगा।

(d) सरकार समय-समय पर उन वस्तुओं का अधिसूचन कर सकती है, जिन पर टोल ad valorem आधार पर लगाया जा सकता है, जिसकी अधिकतम सीमा खरीद मूल्य का 15% होगी।”

अधिनियम की अनुसूची में विभिन्न प्रकार के वाहनों और उनके संबंध में वसूले जाने वाले टोल की दरों का उल्लेख किया गया है। अनुसूची के शीर्षक में लिखा है: "डोमेल टोल स्टेशनों को पार करने वाले यातायात के लिए प्रति यात्रा प्रत्येक दिशा में टोल।" अनुसूची की सामग्री से स्पष्ट है कि अधिनियम राज्य की विभिन्न सड़कों और पुलों पर पार करने के लिए टोल वसूली को संबोधित करता है और राज्य को अधिसूचना के माध्यम से टोल की दर और उसके संग्रह के तरीके को निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। अधिनियम की योजना में माल या उसकी बिक्री के किसी लेन-देन पर टोल वसूलने का प्रावधान नहीं है। यह स्पष्ट रूप से राज्य में सार्वजनिक सड़कों और पुलों के उपयोगकर्ताओं पर लगाया जाने वाला टोल है। अधिनियम की योजना टोल की अवधारणा के अनुरूप है, चाहे वह टोल ट्रावर्स हो या टोल थ्रू, जो राज्य सरकार द्वारा सड़कों और पुलों के उपयोग के लिए प्रदान किए गए लाभ या विशेषाधिकार के बदले लगाया जाता है। टोल वसूली के उद्देश्य से जिस एजेंसी ने संबंधित सड़क या पुल का निर्माण किया है या परियोजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय स्रोत कौन सा है, यह प्रासंगिक नहीं है। धारा 3(1) के

प्रावधान के संदर्भ में अधिसूचना संख्या 348 के प्रथमिक अध्ययन (prima facie) से यह स्पष्ट है कि यह अधिसूचना राज्य सरकार को प्रदान की गई शक्तियों के अनुरूप नहीं है। अधिसूचना के सामान्य पाठ से यह स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य राज्य से बाहर निर्यात किए जाने वाले सूखे मेवों, जैसे बादाम, अखरोट और उनके कोर, पर सड़क या रेलवे के कुछ निकास बिंदुओं के माध्यम से टोल लगाना है। इस प्रकार का टोल लगाने का अधिकार धारा 3 के तहत राज्य सरकार को प्राप्त नहीं है, जिसके कथित प्रयोग में यह अधिसूचना जारी की गई है।

इस न्यायालय की संविधान पीठ ने *ए. वी. फर्नांडिज बनाम केरल राज्य, (1957)* ***एससीआर 837*** के मामले में अवलोकन किया:

"यह निःसंदेह सत्य है कि कर संबंधी अधिनियमों की व्याख्या करते समय और किसी करदाता की कर देयता निर्धारित करते समय केवल अधिनियम की भावना या उसके सार पर नहीं, बल्कि कानून के कठोर शब्दों पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि राजस्व (Revenue) न्यायालय को यह संतुष्ट कर देता है कि मामला स्पष्ट रूप से कानून के प्रावधानों के भीतर आता है, तो उस व्यक्ति पर कर लगाया जा सकता है। दूसरी ओर, यदि मामला कराधान अधिनियम के प्रावधानों की सीमाओं के भीतर नहीं आता, तो कोई कर अनुमान, उपमा या विधायिका की मंशा में पैठ करके या मामले के सार का विचार करके नहीं लगाया जा सकता। इसलिए, यह आवश्यक है कि हम यह निष्कर्ष निकालने से पहले अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों के वास्तविक प्रावधानों पर विचार करें कि क्या अपीलकर्ता की बिक्री कर प्राधिकरणों द्वारा वर्णित रूप में मूल्यांकन करने की देयता थी।"

उस मामले में इस न्यायालय ने *आंतरिक राजस्व आयुक्त बनाम वेस्टमिंस्टर के ड्यूक*, (1936) लॉ रिपोर्ट्स, अपील मामलों में 1:24 केस में लॉर्ड रसेल ऑफ किलोवेन के निम्नलिखित अवलोकनों को स्वीकृति के साथ नोट किया।

> “मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं इस सिद्धांत को नापसंद करता हूँ कि कराधान मामलों में यदि कोई मामला न्यायालय की दृष्टि में किसी लेन-देन के सार के अनुसार अधिनियम की भावना या उद्देश्य में आता है, तो उस पर कर लगाया जा सकता है। कोई करदाता अनुमान, उपमा या समानता द्वारा कर योग्य नहीं ठहराया जा सकता,

> बल्कि केवल अधिनियम के स्पष्ट शब्दों के आधार पर, जो उसके मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर लागू होते हैं, ही कर लगाया जा सकता है।"

उपरोक्त मामले में लार्ड रसल की टिप्पणियों का उल्लेख प्रिवी काउंसिल ने भी *बैंक ऑफ़ चेट्टिनाड बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर*, एआइआर (1940) पी.सी. 183 में किया। प्रिवी काउंसिल ने यह सुझाव स्वीकार नहीं किया कि राजस्व मामलों में "मामले का सार" को कड़े कानूनी दृष्टिकोण से अलग माना जा सकता है।

इसी प्रकार का दृष्टिकोण *कमिश्नर ऑफ़ वेल्थ टैक्स, गुजरात-III अहमदाबाद बनाम एलीस ब्रिज जिमखाना*, [1998] 1 एससीसी 384 में अपनाया गया, जिसमें यह कहा गया: "कोई भी व्यक्ति तभी कर योग्य होगा जब उसे स्पष्ट शब्दों में चार्जिंग सेक्शन के दायरे में लाया गया हो। किसी पर अनुमान या निहितार्थ से कर नहीं लगाया जा सकता। चार्जिंग सेक्शन की व्याख्या कड़ाई से करनी होगी। यदि किसी व्यक्ति को स्पष्ट शब्दों में चार्जिंग सेक्शन के दायरे में नहीं लाया गया, तो उस पर कर नहीं लगाया जा सकता।"

फिर *दीवान ब्रदर्स बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, बॉम्बे और अन्य*, [1976] 3 एससीसी 800 के मामले में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने वित्तीय क़ानूनों की व्याख्या के सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए *ए.वी. फर्नांडेज बनाम केरला राज्य (सुप्रा)* और *महाराष्ट्र राज्य बनाम मिश्री लाल ताराचंद लोढ़ा*, [1964] 5 एससीआर 230 में दिए गए अवलोकनों को स्वीकृति के साथ उद्धृत किया, जिसमें यह कहा गया:

> "यह अधिनियम एक कराधान संबंधी क़ानून है और इसलिए इसके प्रावधानों की व्याख्या कड़ाई से, यानी करदाता-पक्ष के पक्ष में, की जानी चाहिए।"

उपरोक्त उल्लिखित निर्णयों के तर्क के आधार पर यह अवलोकन किया गया कि:

> "ये टिप्पणियाँ स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि न्यायालयों को कराधान संबंधी अधिनियम की धाराओं की व्याख्या सख्ती से करनी होती है, ताकि संदेह का लाभ वादी को दिया जा सके। उपरोक्त उद्धृत निर्णयों से जो सिद्धांत निकलते हैं, वे सुस्पष्ट रूप से स्थापित हैं और उनमें कोई संदेह नहीं है।"

पूर्व वर्णित अनुच्छेदों में हुई चर्चाओं से स्पष्ट स्थिति यह उभरती है कि अधिसूचना संख्या एसआरओ 348, जिसमें अतिरिक्त टोल कर लगाया गया था, स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 3 की सीमा से बाहर थी। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में बादाम, अखरोट और अखरोट के कर्नल जैसे सूखे मेवों की प्रक्रिया 'निर्माण' (manufacture) की संज्ञा में नहीं आती, उसे त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। इस मामले में अतिरिक्त टोल कर के लगने को बनाए रखने वाला उच्च न्यायालय का निर्णय भी टिकाऊ नहीं है।

तदनुसार, अपीलें स्वीकृत की जाती हैं। उच्च न्यायालय का जो निर्णय चुनौती के अंतर्गत था, उसे रद्द किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह निर्णय केवल भावी प्रभाव रखेगा और विवादित अधिसूचना के तहत पहले से एकत्रित किसी भी टोल/अतिरिक्त टोल कर की राशि लौटाने की आवश्यकता नहीं है। पक्षकार अपने-अपने खर्च वहन करेंगे।

एस.के.एस   अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|